संख्याः नि० 298 / 3-5 (उ०बां०रे०वि०परिषद)

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in/
फोन / फैक्सः-0135-2741607, 2742641
ई-मेल- ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी /
देहरादून, उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक 01 अगस्त, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की राज्य सैक्टर योजना "2406-01-102-07-00- उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद" हेतु बजट का आवंटन।

संदर्भ- शासनादेश संख्या-1428/X-2-2019-12(26)/2012 दिनांक 29 जुलाई,2019 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उक्त सन्दर्भित **शासनादेश** एवं **अलॉटमेंट आई.डी.S19070270012** दिनांक 29.07.2019 से वित्तीय वर्ष 2019-20 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 **राज्य सैक्टर योजना** "2406-01-102-07-00-"**उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद**" हेतु शासन से अवमुक्त धनराशि **₹ 1,04,50,000/-(₹ एक करोड़ चार लाख पचास हजार मात्र)** का बजट **IFMS पोर्टल** के माध्यम से विभाग के **आहरण वितरण अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी,देहरादून वन प्रभाग,देहरादून** को (मुख्य कार्यकारी अधिकारी,उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद,देहरादून को उपलब्ध कराये जाने हेतु) **ऑन लाइन निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों** के साथ अवमुक्त / जारी करते हुये **प्रिन्ट आउट** की **हस्ताक्षरित प्रति** संलग्न कर प्रेषित की जाती है :-

1-संदर्भित शासनादेश में **उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों** का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2-आवंटित धनराशि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के कार्यो के संचालन हेतु उनकी वास्तविकता एवं औचित्यपूर्ण आवश्यकतानुसार ही आवंटित की जायेगी।

3-धनराशि का आहरण / व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा एवं अवशेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

4-शासनादेश संख्या-254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29.03.2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

5-आवंटित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली 2017**, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु-संगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6-बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक / मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाये और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार / दायित्व सृजित किया जाये।

7-धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहॉ आवश्यकता हो सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

8- अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध है, यदि योजना से इतर कार्यो को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

9- कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं मे पूर्व से स्वीकृत / कराया गया हो।

10- निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम / प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त सक्षम स्तर से वित्तीय / प्रशासनिक और तकनीकी / प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

11-आवंटित / जारी धनराशि के मासिक व्यय का विवरण **निर्धारित प्रपत्र बी.एम.-4** मे कार्यालयवार भरकर विलम्बतम प्रत्येक माह की **पहली तारीख तक** अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

Scanned by CamScanner

IFMS

# बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

## HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

Treasury-Dehradun(0100)

DDO-DFO Dehradun Forest DivisionDehradun(4257)

आवंटन पत्र संख्या -Ni-298/3-5

आवंटन आई डी-H19080270001

अनुदान संख्या-027

आवंटन पत्र दिनांक-01-AUG-2019

| | | |
|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन | 01-Forestry |
| | 102-समाज तथा फार्म वानिकी | 07-उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद |
| | 00-उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की मानव संसाधन एवं अनुसंधान विकास | Voted |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | 0 | 10450000 | 0 | 10450000 |
| योग | 0 | 10450000 | 0 | 10450000 |

**Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,04,50,000 (Rupees One Crore Four Lacs Fifty Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक
वन विभाग
कार्यालय
प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड
देहरादून

Scanned by CamScanner